न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र सं. 32/2012

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री जेठमल पुत्र श्री हीराचन्द जाति जैन निवासी पाली निर्माता एवं ट्रस्टी पूज्य श्री महेन्द्रसुरी जी जिनेन्द्रसुरीजी जैन गुरू मन्दिर परिसर अरठ, भटावा धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही फौत दिनांक 31.12.2013 2. श्री संजय कुमार पुत्र श्री जेठमल जाति जैन निवासी पाली व्यवस्थापक पूज्य श्री महेन्द्रसुरी जी जिनेन्द्रसुरीजी जैन गुरू मन्दिर परिसर अरठ, भटावा धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		1. श्री नानूराम पुत्र श्री नवाराम पुरोहित निवासी काछोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 2. श्रीमती सविता पत्नि श्री छतरिंगजी पुरोहित निवासी धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा।

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री दिनेश कुमार सुराणा प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री हंसराज पुरोहित अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 2
3. श्री अश्विन मरड़िया , राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

निर्णय

दिनांक : 01.02.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत कर मौजा धनारी, तह. पिण्डवाड़ा के वर्तमान में खसरा सं0 719 से 722 कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 18 विस्वा को अप्रार्थीगण की खातेदारी से पुनः मंदिर श्री महेन्द्रसुरीजी जिनेन्द्रसुरीजी जैन गुरू मन्दिर स्थान देह के नाम करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को रेफरेन्स करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित [illegible] उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से राजकीय [illegible] श्री अश्विन मरड़िया ने उपस्थिति दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:41:50 IST
Reason: Self Attested

दोनो पक्षों की बहस [illegible] अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम धनारी की सरहद मे मंदिर श्री महेन्द्रसुरीजी जिनेन्द्रसुरीजी जैन गुरू मन्दिर स्थित है। इस मंदिर के नाम पूर्व मे कृषि भूमि अंकित थी लेकिन हाल राजस्व रेकर्ड मे मंदिर का नाम हटा कर नामान्तरण संख्या 1152 दिनांक 30.07.1993 द्वारा कब्जा काबिज व्यक्तियों के नाम भूमि का अंकन किया गया। इस नियम विरूद्ध किये गये

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अंकन को हटाने हेतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। खसरा नम्बर 719 से 722 कुल रकबा 11 बीघा 18 विस्वा भूमि को गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये विक्रय विलेख दिनांक 08.09.1993 द्वारा जरिये पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर श्री पदमसुरीजी चेला श्री पूज्य जिनेन्द्रसुरीजी कौम यति के श्रीमती सवितादेवी पत्नि श्री छतरिंगजी जाति पुरोहित निवासी धनारी को रूपये 78,000/– में विक्रय किया था, जो अवैध है। मन्दिर की भूमि को जरिये पॉवर ऑफ अटोर्नी के बेचान नहीं किया जा सकता एवं यह पॉवर ऑफ अटॉर्नी स्वयंमेव अन्तरण पत्र नहीं है एवं यह रिवोकेवल है। नानूराम ने जैन समाज के धार्मिक आस्था स्थल के लिए दी गई सम्पत्ति का विक्रय दिनांक 08.09.1993 को रूपये 78,000/– में अरठ का आधा खातेदारी हक एवं सम्पूर्ण कृषि आराजी का विक्रय लेख करवाकर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम नायब तहसीलदार पिण्डवाडा से नामान्तरण स्वीकृति कराकर उक्त कृषि भूमि एवं अरठ के आधे हिस्से की खातेदारी में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज किया। खसरा संख्या 722 की सम्पूर्ण सम्पत्ति आचार्य पदमसुरीजी महाराज के जरिये प्रार्थीगण के कब्जे हक अधिकार व व्यवस्था में आज तक है। अप्रार्थी संख्या 1 के हक में निष्पादित पॉवर ऑफ अटॉर्नी के जरिये किया गया हस्तान्तरण अवैध बिन अधिकार है एवं इस हस्तान्तरण का नामान्तरकरण भरने का अधिकार ग्राम पंचायत को था लेकिन इस नामान्तरकरण को स्वीकृत हेतु ग्राम पंचायत को पेश नहीं किया गया। यह नामान्तरकरण संख्या 1161 विधि विरूद्ध होने से रद्द करने हेतु रेफरेन्स योग्य है। जैन समाज के धार्मिक कमलगन्छ गादी का पवित्र व गुरू स्थान है एवं इस गुरू स्थान की व्यवस्था हेतु सिरोही रियासत द्वारा दी गई सम्पत्ति धार्मिक स्थल की सम्पत्ति है जो लोकहित में किसी को हस्तान्तरण करने व खातेदारी देने योग्य नहीं है। पॉवर ऑफ अटॉर्नी के जरिये नानूराम को कब्जा नहीं दिया गया था और न ही क्रेता का कब्जा कानूनन नानूराम दे सकता था। सिरोही रियासत द्वारा कमलगन्छ गादी की व्यवस्था हेतु दी गई सम्पत्ति अरठ भटावा व आराजी पर जैन समाज का आश्रय स्थल, गुरू मन्दिर परकोटा सहित सम्पत्ति है जिसे न तो विक्रय किया जा सकता है और न ही उसकी खातेदारी कमलगन्छ के लोगों के अलावा किसी अन्य को दी जा सकती है। जनहित व जनउपयोगिता व धार्मिक प्रयोजन के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण सम्पूर्ण सम्पत्ति का विकास करने में व धार्मिक आस्था को चीर स्थान बनाने को प्रार्थीगण प्रयत्नशील है एवं कमलगन्छ गादी के अनुयाईयों की धार्मिक भावना को ठेस पहुँच रहीं है। विक्रय विलेख के पंजीकृत के समय उप पंजीयक ने पॉवर ऑफ अटॉर्नी को गम्भीरता से नहीं देखा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सम्पत्ति का कब्जा पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को नहीं दिया गया है। इस विक्रय विलेख के अनुसार विक्रेता को विक्रय कीमत अदा करने का उल्लेख भी नहीं है व विक्रेता द्वारा क्रेता को कब्जा सुपूर्द करने का भी अधिकार नहीं है। विक्रय विलेख अनाधिकार है व इस आधार पर भरा गया नामान्तरकरण भी विधि विरूद्ध है जो निरस्त योग्य है। विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2012 पेज 1313, पेश करते हुए निवेदन किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को रेफरेन्स करने के आदेश पारित करावें।

अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन [illegible] के पश्चात प्रस्तुत किया गया है जो म्याद बाहर है। मंदिर का कब्जा होने के [illegible] है। कब्जा किस व्यक्ति के जरिये मंदिर का था, को प्रार्थी ने नहीं दर्शाया है और न [illegible] प्रलेख प्रस्तुत किये है। प्रार्थी का आवेदन कब्जे के प्रमाण के अभाव [illegible] जैन मंदिर एवं उसकी आराजी खसरा नं. 719 से 722 कुल 11 बीघा [illegible] राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी में श्रीमती सवितादेवी पत्नि श्री छतरींगजी पुरोहित सा0 देह खातेदार के नाम से वर्ष 1993 से आज तक उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में श्री पदमसुरी चेला पूज्य श्री जिनेन्द्रसुरीजी कौम यति सा0 देह खातेदार के पॉवर ऑफ अटॉर्नी से क्रय करने के बाद आज तक गत् 28 वर्षों से दर्ज बतौर खातेदार है तथा सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड में मौजा धनारी खसरा नम्बर 722/2

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:41:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रकबा 0.18 बिस्वा गैर मुमकिन वेरा मात्र श्री पूज्य पदमसुरीजी चेला श्री पूज्य जिनेन्द्रसुरीजी कौम यति सा0 देह खातेदार दर्ज है। प्रश्नगत मौका धनारी तहसील पिण्डवाडा की आराजी पदमसुरीजी के पूज्य गुरू पूज्य श्री जिनेन्द्रसुरीजी कौम यति के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। इसके पूर्व खातेदार पदमसुरीजी चेला श्री जिनेन्द्रसुरीजी कौम यति दर्ज थी। जैन समाज की यति परम्परा में जो यति कौम से सम्बन्धित है उनमें शिष्य परम्परा होती है तथा कौम यति के साधु गृहस्थ अर्थात् विवाह भी कर सकते है तथा अपनी निजी चल–अचल सम्पत्ति के हकदार होते है। पूज्य श्री पदमसुरीजी का रेफरेन्स विचाराधीन के दौरान मृत्यु हो चुकी है, जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र पत्रावली पर है। यति श्री पदमसुरीजी की सम्पदा का कोई ट्रस्ट उनके जीवनकाल में नहीं बना था और न ही उनका कोई जीवित शिष्य ही है। उनकी मात्र 18 बिस्वा भूमि का उत्तराधिकारी उनका शिष्य आदि होता तो हो सकता था। प्रार्थीगण पदमसुरीजी की चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में बाहरी व्यक्ति एवं अजनबी है, जिसके सम्बन्ध में नजीर R.LW. 1964 Page No. 441 To 442 सुमेरचन्द बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की नजीर अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ पेश है। प्रार्थीगण की उक्त रेफरेन्स प्रस्तुति में कोई LOCUS STANDI नहीं है। वे AGGRIEVED PARTY भी नहीं है और न ही उन्हें रेफरेन्स करीब 19–20 वर्ष पश्चात् TOTAL LEGAL REMEDIES अपील रिविजन वाद वगैराह सिविल न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में खत्म होने के पश्चात् यह अपरिपोषणीय रेफरेन्स कार्यवाही बदयान्तिपूर्ण आशय से अतिशय विलम्ब के प्रस्तुत की है, जो कानूनन खारिज योग्य है, जिसके सम्बन्ध में 1996 DNJ(RAJ) Page No. 100 Anandilal V/s State Of Rajasthan & Ors अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ पेश है। अतः प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज करना फरमावे। विधिक दृष्टान्त विधिक दृष्टान्त डी.एन.जे.(राज.) 1995 पेज 38, आर.आर.डी. 1994 पेज 329, आर.आर.टी. 2012 पेज 374,238, आर.आर.टी. 2014 पेज 534 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जावें ।

अप्रार्थी संख्या 3 के लायक राजकीय अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब पर गौर करने का निवेदन किया गया एवं उक्त प्रकरण में सरकार पक्ष का कोई लेना–देना नहीं है। यह रेफरेन्स कानूनी तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

हमने दोनो पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया व प्रस्तुत विधिक दृष्टान्तों पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि मौजा धनारी तह. पिण्डवाडा में खसरा संख्या 719 से 722 कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि सन् 1993 तक पदमसुरीजी चेला पूज्य श्री जिनेन्द्रसुरीजी कौम यति सा0 देह खातेदार के रूप में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, मन्दिर के नाम दर्ज नहीं थी। सिरोही रियासत काल के समय यह भूमि श्री जिनेन्द्रसुरीजी चेला महेन्द्रसुरीजी महाराज कमलगन्छ गादी मौजा धनारी तहसील भावरी में अरठ भटावा व उसका वेरा (कुंआ) जो संवत् 1931 रा माह सुद 7 को दान में अर्पण किया जो खालसा होने से नीलाम की कार्यवाही जारी होने पर उनकी दरख्वास्त पेश होने पर वाद तपास अर्ज मंजूर फरमाओ नीलाम की कार्य[illegible] संवत् 1931 रा [illegible] माफीक कायम रखी जो गादी रे कायम रहे सी, खुशी राखजो फकत [illegible].04.1948 ई0 मुताबिक मीति बैशाख वद 2 वार सूरज। जिस [illegible] श्री डी.सी. गैमावत रेवेन्यू मेम्बर श्री के.सी. सिंघी चीफ मिनिस्टर श्री के.के. [illegible] तहसीलदार भावरी श्री एस.एन. सिंघी एवं गिरदावर भावरी श्री [illegible] गुप्ता के हस्ताक्षर दिनांक 08.07.1948 के है। उस अनुसार परवाना नम्बर 1917 दिनांक 29.10.1917 के तहत [illegible] विवादित भूमि का नामान्तरकरण होने पर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 में कॉलम संख्या 4 में सुरेश्वरजी गुरू महेन्द्रसुरेश्वरजी कौम यति सा0 देह खातेदार दर्ज हुआ। उसके बाद जमाबन्दी संवत् 35 से

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:41:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

38 में श्री पूज्य जिनेन्द्रसुरीजी चेला महेन्द्रसुरी कौम यति सा0 देह खातेदार दर्ज हुआ। उसके पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 1161 दिनांक 31.10.1993 के जरिये विक्रय विलेख रजिस्ट्री क्रमांक 543 दिनांक 08.09.1993 के द्वारा बेचान करने पर खरीददार श्रीमती सविता देवी पत्नि श्री छतरींगजी पुरोहित खातेदार के नाम आज तक चल रही है, न कि मन्दिर के नाम। किसी भी खातेदार को अपनी कृषि भूमि बेचान करने का पूर्ण हक है। प्रार्थी अधिवक्ता यह तथ्य सिद्ध नहीं कर सके कि यह भूमि एवं उसका वेरा(कुंआ) मन्दिर का था। सिरोही रियासत द्वारा जारी परवाना नम्बर 1917 दिनांक 29.10.1917 के तहत विवादित भूमि श्री सुरेश्वरजी गुरू महेन्द्रसुरेश्वरजी कौम यति को दान दी गई थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ तब राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि बतौर खातेदार दर्ज हुई, जो जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 में सा0 देह खातेदार दर्ज है। इस सम्बन्ध में किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी न्यायालय में या राजस्व कार्यालयों में कोई उजर–ऐतराज आज दिन तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः विवादित भूमि मौजा धनारी खसरा नं. 719 से 722 कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा को किसी खातेदार की कृषि भूमि ही माना जायेगा, न कि किसी संस्था या मन्दिर के। चूँकि यह भूमि आज से 27 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी में निर्विवाद रूप से चली आ रहीं है, जिसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाया जाने से विधिविरूद्ध है। अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त डी.एन.जे.(राज.) 1995 पेज 38, आर.आर.डी. 1994 पेज 329, आर. आर.टी. 2012 पेज 374,238, आर.आर.टी. 2014 पेज 534 आर.आर.टी. 2012 पेज 1313, एवं न्यायालय द्वारा अपनी लाईब्रेरी से देखे गये विधिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1984 पेज 363, आर. आर.डी. 1999 पेज 351, आर.आर.डी. 2000 पेज 189, आर.आर.डी. 1996 पेज 170, आर.आर. डी. 1974 पेज 359, आर.आर.डी. 1982 पेज 298, का सम्मानपूर्वक पालन करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा किए गए निवेदन एवं रेकर्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर आज दिनांक 01.02.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:41:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner